न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल म0प्र0 ग्वालियर

(पीठासीन अधिकारी श्रीमान एस.एस. अली)

प्र0क्र0 / पुनर्विलोकन / 6409 / 2018 नरसिंहपुर / 2020

राजेश माखीजा आ0 श्री चेतराम माखीजा
उम्र लगभग 47 वर्ष, निवासी--कन्देली, नरसिंहपुर
द्वारा--मुख्त्यारेआम--दौलतराम रहेजा
आ0 श्री दानूमल रहेजा उम्र लगभग--60 वर्ष,
निवासी--स्टेशनगंज गयादत्त वार्ड,
नरसिंहपुर, तह0 व जिला नरसिंहपुर

पुनर्विलोकनकर्ता

विरुद्ध

1-- म0प्र0शासन,
द्वारा--श्रीमान अपर कलेक्टर, नरसिंहपुर
2-- श्रीमान अपर कमिश्नर, जबलपुर
3-- सक्षम प्राधिकारी / अनुविभागीय अधिकारी,
तहसील एवं जिला नरसिंहपुर

--रेस्पांडेंटगण

पुनर्विलोकन अन्तर्गत धारा 51 भू–राजस्व संहिता 1959

माननीय महोदय,

पुनर्विलोकनकर्ता माननीय न्यायालय के प्र0क्र0 अपील / 5279 / 2018 नरसिंहपुर के पारित आदेश दिनांक 19.11.2018 से आंशिक रूप से परिवेदित होकर निर्धारित समयावधि में यह पुनर्विलोकन आवेदन पत्र प्रस्तुत कर रहा है।

प्रकरण के तथ्य

1-- यह कि पुनर्विलोकनकर्ता ने माननीय न्यायालय में अपर कमिश्नर जबलपुर संभाग जबलपुर के प्र0क्र0 0125 / अपील / 2017--18 में पारित आदेश दि 26.06.2018 (जो कि न्यायालय अपर कलेक्टर नरसिंहपुर के प्र0क्र0 01 / अ--20(4) / 2016--17 में पारित आदेश दिनांक 01.09.2017 एवं न्यायालय सक्षम प्राधिकारी / अनुविभागीय अधिकारी नरसिंहपुर के प्र0क्र0 2 / अ--20(4) / 2011-12 की आदेश पत्रिका दिनांक 05.05.2016 एवं नजूल अधिकारी नरसिंहपुर के प्रतिवेदन दिनांक 06.04.2017 से उद्भूत है) से परिवेदित होकर निर्धारित समयावधि में सुसंगत अभिलेखों सहित द्वितीय अपील प्रस्तुत की थी।

2-- यह कि माननीय न्यायालय ने पक्षकारों के तर्क श्रवण करने के उपरांत अपीलांट की अपील ग्राह्य करते हुए प्र0क्र0 अपील 5279 / 2018 नरसिंहपुर पंजीबद्ध किया था।

3-- यह कि माननीय न्यायालय ने अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों को आहूत कर उनका परिशीलन कर अपीलांट के लिखित तर्क एवं म.प्र. शासन के पैनल लायर के तर्क पर विचारोपरांत दिनांक 19.11.2018 को आदेश पारित कर अपर आयुक्त जबलपुर संभाग जबलपुर के प्र0क्र0 125 / 2017--18 में पारित आदेश दिनांक 26.06.2018 एवं न्यायालय अपर कलेक्टर नरसिंहपुर के प्र0क्र0 01 अ--20(4) / 2016--17 में पारित आदेश दिनांक 01.09.2017 त्रुटिपूर्ण मान्य करते हुए निरस्त कर अपीलांट की

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक पुनरावलोकन–नरसिंहपुर/भू.रा./2018/6409

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभि आदि के हस्ताक्षर
24/12/18	पुनरावलोकन आवेदन की प्रचलनशीलता पर आवेदक के अभिभाषक को सुना जा चुका है। यह पुनरावलोकन आवेदन राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर के प्र0क0 अपील–नरसिंहपुर/भू.रा./2018/5279 में पारित आदेश दि0 19–11–2018 पर से प्रस्तुत किया गया है। 2/ पुनरावलोकन आवेदन में अंकित तथ्यों पर विचार करने पर स्थिति यह है कि आवेदक व्दारा जिन तथ्यों का समावेष पुनरावलोकन आवेदन किया है, अधीनस्थ न्यायालयों के प्रकरणों में आये समस्त तथ्यों अनुसार विवेचना कर आदेश दि0 19–11–2018 पारित किया गया है। मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 51 में पुनरावलोकन हेतु निम्नानुसार व्यवस्था दी गई हे :– 1. **किसी नई और महत्वपूर्ण बात या साक्ष्य का पता चलना जो सम्यक तत्परता के पश्चात् भी उस समय जब आदेश किया गया था, उस पक्षकार के ज्ञान में नहीं थी अथवा उसके व्दारा पेश नहीं की जा सकती थी, या,** 2. **मामले के अभिलेख से ही प्रकट कोई भूल या गलती,** 3. **कोई अन्य पर्याप्त कारण ।** आवेदक के अभिभाषक यह समाधान नहीं करा सके हैं कि राजस्व मण्डल व्दारा आदेश दिनांक 1–6–18 पारित करते समय ऐसी कौनसी प्रत्यक्ष दर्शी भूल की गई है अथवा उनके व्दारा ऐसा कौनसा अभिलेख शोध कर लिया गया है, जो तत्समय आदेश पारित करने के पूर्व प्रस्तुत नहीं किया जा सका था। पुनरावलोकन आवेदन के आधार समाधानकारक न होने से राजस्व मण्डल व्दारा पारित आदेश दिनांक 19–11–18 में हस्तक्षेप करना संभव नहीं है। पुनरावलोकन आवेदन अमान्य किया है। सदस्य	